

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. एफ. 3-12-2010-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची एक में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	तृतीय श्रेणी	1290-1840	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें.

(2) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	90 प्रतिशत (प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति).	10 प्रतिशत	-	-

(3) अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं एवं प्रशिक्षण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	18 वर्ष (महिला अभ्यर्थी).	1. महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10=45. 2. महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5=50. 3. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10+5=50. 4. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5+5=55.	(1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के साथ 10+2 अवश्य होना चाहिए. (2) बी.एस.सी. स्नातक नर्सिंग डिप्लोमा. (3) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश नर्सिंग परिषद् से आर.एन.आर.एम. [रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत दाई (मिडवाइफ)] में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है. शासकीय संस्था से प्रशिक्षित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में मान्यताप्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों/नर्सिंग महाविद्यालय से प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा. यदि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब अन्य राज्यों से बी.एस.सी. नर्सिंग/डिप्लोमा नर्सिंग प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बार छूट दी जाएगी.”	

(4) अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 2, 3, 4 तथा 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	नर्सिंग सिस्टर/ हाउस कीपर.	5 वर्ष	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
3.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर).	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण- पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	लोक स्वास्थ्य शिक्षक(ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण- पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	(क) संचालनालय स्तर— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं -सदस्य (नर्सिंग प्रशासन). [यदि वह वरिष्ठतम नहीं हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक/सहायक नर्स- प्रसाविका 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित. 3. पंजीकृत नर्स जो महाकोशल नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत हो.	(ख) संभागीय स्तर समिति— 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. जिले का वरिष्ठतम परिवार कल्याण-सह-स्वास्थ्य अधिकारी. -सदस्य 3. जिला चिकित्सालय की नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन.”

No. F. 3-12-2010-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule I, for serial number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Post included in the Service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3(A)	Staff Nurse	7763	Class III	1290-1840	Divisional Joint Director of Health Services.

(2) In Schedule II, for serial Number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Service	Total No. of Posts	Percentage of the Number of the duty posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment [See rule-6(1)]	By promotion of the members of service [See rule 6(b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6(c)(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3(a)	Staff Nurse	7763	90% (Appointment on Allotment on merit basis after passing the training)	10%	-	

(3) In Schedule III, for serial Number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Required Educational Qualifications and training	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	Staff Nurse	18 years (Female candidate)	1. Female Candidates (General Category) 35+10=45 2. Female Candidates (Reserve category ST/SC/OBC/ 35+10+5=50 3. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (General Category) 35+10+5=50 4. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (Reserve category ST/SC/OBC) 35+10+5+5=55	(1) Candidates must possess 10+2 with Physics, Chemistry and Biology. (2) B.Sc. Graduate Nursing degree/diploma Nursing. (3) Passed candidates must have registered in R.N.R.M. (Registered Nurse and Registered Midwife) from Madhya Pradesh Nursing Council. In such cases where sufficient number of trained candidate from Government Institutes are not available, then candidates trained from recognised Non Government Schools/Colleges of Nursing, Female candidates will be considered for appointing on the post of Staff Nurse. If sufficient number of candidates are not available within the State of Madhya Pradesh, one time relaxation shall be given for female candidates from the trained BSC Nursing/Diploma Nursing from other states."	

(4) In Schedule IV, for serial Number 2, 3, 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which Promotion is to be made	Required Experience and Qualification	Name of the member of the Departmental promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.	Staff Nurse	Nursing Sister/ House Keeper	5 years	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.]
				3. Deputy Director of Health Services (Nursing)-Member
				4. Assistant Nursing Advisor -Member
3.	Staff Nurse	Sister Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
4.	Staff Nurse	Public Health Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services -Chairman (Headquarters) 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
5.	LHV Auxiliary Nurse Mid-Wifery	Staff Nurse	1. 5 years 2. Departmental Nursing and Midwifery trained. 3. Registered Nurse Registered with M.K. Nursing council.	(B) Division Level Committee- 1. Senior Most Chief Medical & Health Officer -Chairman (Head quarters). 2. Senior Most District Family Welfare cum Health Officer-Member. 3. Nursing Superintendent Matron of District Hospital.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.